28

सामाजिक न्याय और अधिकारिता
संबंधी स्थायी समिति
(2021-2022)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

['अनुदानों की मांगों (2021-22)' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई**]**

अठाईसवाँ प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2021/ *अग्रहायण* 1943, (*शक)*

प्रतिवेदन

अध्याय- एक

1.1 यह प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) के 'अनुदानों की मांगे (2021-22)' विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में है ।

1.2 यह प्रतिवेदन 16.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था । इसमें 10 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच कर ली गई है और इन्हें निम्नवत वर्गीकृत किया गया है :–

(एक) टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है:

पैरा सं:- 2.11, 3.17, 4.9, 4.10, 5.16 और 7.12 (कुल सं : 6 - अध्याय-दो)

(दो) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती:

पैरा सं – 2.10 और 6.14 (कुल सं: 2 - अध्याय -तीन)

(तीन) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

पैरा सं. 3.15 (कुल सं: 1 - अध्याय - चार)

(चार) टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं:

पैरा सं. 3.16 (कुल सं: 1 - अध्याय - पांच)

1.3 समिति चाहती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय–एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पण उन्हें शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत किए जाएं और इसमें किसी भी हालत में प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने से तीन महीने से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। ।

1.4 समिति अब सरकार से प्राप्त उत्तरों पर विचार-विमर्श करेगी जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर उपयुक्त टिपण्णी किए जाने की आवश्यकता है।

A. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस (एससी))

सिफारिश (पैरा सं. 3.15)

1.5 समिति ने अपनी बीसवीं रिपोर्ट में निम्नानुसार सिफारिश की थी: -

"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 60 वर्षीय पुरानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की गारंटी देती है जिनके माता-पिता की आय सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। समिति नोट करती है कि पिछले 2वर्षों के दौरान अर्थात् 2018- 19और 2019-20, 31 दिसंबर, 2020तक केवल 113. 15 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं, और इस योजना केअंतर्गत 8639.47 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। समिति महसूस करती है कि अगले 5 वर्षों में लाभान्वित होने के लिए अनुमानित 4 करोड़ छात्रों की संख्या को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, अर्थात, प्रति वर्ष लगभग 80 लाख। इस निर्णय के आलोक में कि राज्यों को उनकी 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति राशि का हिस्सा पहले देना होगा और फिर केंद्र का 60 प्रतिशत हिस्सा छात्रों को जारी किया जाएगा, समिति को मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया था कि देयता अब कम हो गई है और इसलिए यह एक स्वागत योग्य कदम है। फिर भी, सभी राज्य सरकारें समय पर अपना हिस्सा देने में बहुत कुशल नहीं हैं, इसलिए समिति महसूस करती है कि एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाए ताकि छात्रों को राज्यों द्वारा हिस्सा प्रदान न करने या विलंब के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न किया जाए। इसलिए, समिति का सुझाव है कि छात्रों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाये ताकि अधिकतम छात्र अगले पांच वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए योजना का लाभ उठा सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि योजना के हाल ही में किए गए मूल्यांकन अध्ययन में दिए गए सुझाव व्यावहारिक हैं और विचार योग्य हैं, इसलिए इनकी जांच और कार्यान्वयन किया जा सकता है। समिति योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों की पात्रता के

सत्यापन के बाद, मुफ्त शिप कार्ड जारी करने की अवधारणा की भी सराहना करती है, क्योंकि यह छात्रों को देश में कहीं भी कोई शुल्क भुगतान किए बिना अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को योजना केअंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्र छात्रों को नि:शुल्क शिप कार्ड जारी करने का निर्देश दे।"

सरकार का उत्तर

1.6 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपनी कार्रवाई के जवाब में निम्नानुसार कहा है: -

"वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान स्कीम राज्यों की प्रतिबद्ध देयता के सिद्धांत पर आधारित थी, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिबद्ध देयता के अनुसार बजट प्रावधान करने में आ रही परेशानियों की रिपोर्ट की थी। इसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज तुलनात्मक रूप से कम था। संशोधित स्कीम वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करने की परिकल्पना करती है। संशोधित स्कीम के एप्रोच में किए गए बदलावों से संभावना है कि आने वाले वर्षों में लाभार्थियों के कवरेज में लगातार वृद्धि होगी, जिससे स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2025–26 तक लगभग 4 करोड़ छात्रों को कवर करने के स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी।

राज्यों द्वारा अपना शेयर प्रदान करने में विलंब अथवा ऐसा न होने की स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम दिशा–निर्देशों में फ्रीशिप कार्ड का आरंभ किया गया। स्कीम दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी पात्र छात्र, ट्यूशन फीस और छात्रावास फीस के भुगतान के बिना संस्थानों में दाखिला लेने के पात्र होंगे। यह फ्रीशिप कार्ड छात्रों को फीस के पूर्व–भुगतान के बिना अध्ययन करने का पात्र बनाएगा बशर्ते जब भी छात्र के खाते में राशि जारी की जाएगी, संस्थान को छात्र से इसे एकत्र करने की सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए, स्कीम दिशा–निर्देशों में बताए गए अनुसार योग्य छात्रों को राज्य सरकार द्वारा फ्रीशिप कार्ड जारी किया जाएगा।

छात्रों में जागरुकता लाने के लिए ताकि अधिकतम छात्र स्कीम का लाभ उठा सकें, ग्राम पंचायतों, नोटिस बोर्ड, स्कूल, समितियों और माता–पिता शिक्षक संघ बैठकों में विचार–विमर्श तथा अन्य जन जागरुकता उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के बारे में जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि इसके कवरेज का विस्तार कर बेइमान तत्वों द्वारा किसी दुरुपयोग को भी कम किया जा सके।

ऐसी सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए विस्तृत स्कीम दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।"

1.7 राज्य सरकारों द्वारा पात्र छात्रों के लिए पीएमएस-एससी योजना के लिए 'फ्रीशिप कार्ड' जारी करने के लिए की गई पहल की ताकि वे ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क का भुगतान किए बिना संस्थानों में प्रवेश ले सकें और राज्यों द्वारा हिस्सेदारी प्रदान करने में विलंब या उसके अभाव में छात्रवृत्ति से वंचित न हों, की सराहना करते हुए समिति ने इच्छा व्यक्त की थी कि पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए ताकि 2025-26 तक उक्त योजना में 4 करोड़ छात्र शामिल हो सकें। हालांकि मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियानों के बारे में कहा है लेकिन इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से ऐसा लगता है कि अभी तक वास्तव में कोई फ्रीशिप कार्ड जारी नहीं किया गया है। उन्हें निर्धारित किसी भी समयावधि के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है जिसके दौरान राज्य सरकारों को ये फ्रीशिप कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है। साथ ही, इस योजना के समग्र लाभार्थी आंकड़े प्रति वर्ष लगभग 60 लाख के आस-पास रहे हैं, जो कि 80 लाख सालाना के लक्ष्य से 20 लाख कम है। इस संबंध में, ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने राज्य सरकार के तंत्र के साथ इस तरह से संपर्क नहीं किया है जिसके फलस्वरुप अपेक्षित संख्या का परिणाम प्राप्त होता। इसलिए समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि एक बार जागरूकता अभियानों की प्रभावकारिता दिखाई देना शुरू होने पर शेष 3 वर्षों में विभिन्न उपलब्ध साधनों के माध्यम से उसका लगातार मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि 2025-26 तक इस योजना के तहत लगभग 4 करोड़ छात्रों को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। समिति योजना में संशोधन के बाद से फ्रीशिप कार्ड के लाभार्थियों की राज्यवार संख्या से भी अवगत होना चाहेगी ।"

1.8 इस योजना के हाल ही में किए गए मूल्यांकन अध्ययन और उसकी सिफारिशों, जो बहुत प्रासंगिक थी और तदनुसार समिति ने विभाग द्वारा इसकी जांच और कार्यान्वयन की सिफारिश की थी, के संबंध में विभाग की चुप्पी से समिति को निराशा हुई है। यह बताया गया है कि की-गई-कार्रवाई टिप्पण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए समिति विभाग द्वारा उक्त मूल्यांकन अध्ययन की तत्काल जांच करने और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समिति को देने की अपनी सिफारिश दोहराती है ।

1.9 समिति ने अपनी बीसवीं रिपोर्ट में निम्नानुसार सिफारिश की थी: -

ख. छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत निधियों का दुरूपयोग

सिफारिश (पैरा सं. 3.16)

"कुछ राज्यों में वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन निधियों के कथित दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट किए गए मामलों पर समिति अत्यंत व्यथित है और इस समय इन मामलों की जांच चल रही है। मंत्रालय के प्रतिनिधि यह दावा करते रहे हैं कि सभी लेनदेन /सत्यापन ऑनलाइन एक समर्पित पोर्टल डीबीटी पर होने के कारण सफल हैं तथा इसी प्रकार के समान उपाय जो निश्चय ही समय की आवश्यकता हैं, समिति के लिए यह चिंताजनक है कि ऐसे मामले चाहे वह छोटे हों, सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों के विश्वास को कम करेंगे। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय इस प्रणाली में सभी चिन्हित कमियों को आगे दूर करे, डाटा और पासवर्ड की निजता को सुदृढ़ करे और सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, वह चाहे स्कूल कार्मिक, बैंकिंग मध्यवर्ती, एनजीओ या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा हों, दूर करे तथा समिति की दृढ़ राय है कि विभाग को राज्य सरकारों को यह परामर्श देना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभग्राही विद्यार्थियों की सैंपल साइज संख्या तक सीधे पहुंचे ताकि यह आकलन किया जा सके कि कहीं वे सरकारी छात्रवृत्ति के बहाने धोखा नहीं खा रहे हैं तथा वास्तव में वे पोर्टल पर उनके नाम से यथा मंजूर उस अवधि के लिए पात्र छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। समिति को विश्वास है कि एक छोटी राय से भी समय पर बड़े बदलाव आ सकते हैं इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस पहलू पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

1.10 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) ने अपनी कार्रवाई के जवाब में निम्नानुसार कहा है: -

"अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के संबंध में, कुछ राज्यों में मैट्रिकोत्तर एससी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। हालांकि, राज्यों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और यह उम्मीद की जाती है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी द्वारा निर्णायक सबूत के साथ रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। अब, संशोधित पीएमएस-एससी स्कीम में, एक पूर्ण परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

यह स्कीम मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलाई जाएगी जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और बिना किसी देरी के समय पर सहायता उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का पूरा डेटाबेस बनाए रखेंगे ताकि लाभार्थियों का डी-डुप्लीकेशन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति की स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का दोषमुक्त सत्यापन करेंगे। छात्रों की सभी सत्यापन प्रक्रिया उपरोक्त प्रमाणित डेटाबेस का उपयोग करके स्वचालित रूप से डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करके कम या बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के की जानी चाहिए। संस्थानों या यहां तक कि जिला स्तर के

अधिकारियों द्वारा सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

पूरी छात्रवृत्ति राशि का - राज्य और केंद्र सरकार दोनों से - ट्यूशन फीस, शैक्षणिक भत्ता और किसी भी अन्य स्वीकार्य भत्ते सहित वर्ष 2021-22 से सीधे छात्रों के खाते में केवल डीबीटी के माध्यम से विशेषतः आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार भुगतान ब्रिज) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

इन उपरोक्त कदमों से छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने से लेकर अंतिम संवितरण तक पूरी तरह से दोषमुक्त प्रणाली की गारंटी की उम्मीद है। इसके अलावा, विभाग राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे लाभार्थी छात्रों के नमूने तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए परामर्श देगा कि उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति के बहाने ठगा नहीं जा रहा है, और यह कि वे वास्तव में सत्र के लिए हकदार छात्रवृत्ति राशि की पूरी राशि प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि पोर्टल में उनके नाम के सामने संस्वीकृत है।"

1.11 समिति ने विभाग से बार-बार आग्रह किया है कि एक त्रुटिरहित व्यवस्था बनाए ताकि सरकारी छात्रवृत्ति के बहाने छात्रों को ठगा न जा सके और उन्हें सत्र के लिए पात्र छात्रवृत्ति राशि की पूरी राशि वास्तव में प्राप्त हो सके। तथापि, विभिन्न राज्यों से अभी भी अनियमितताओं के कई मामले सामने आ रहे हैं। की-गई-कार्रवाई टिप्पणों में समिति को केवल यह बताया गया है कि विभाग को अभी भी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ बदलाव लाना है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और बिना किसी देरी के समय पर सहायता सुनिश्चित करे। समिति को आश्चर्य है कि पिछले एक साल में विभाग इस मामले पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया है क्योंकि सभी पाठ्यक्रम समयबद्ध होते हैं और वित्तीय सहायता के अभाव में छात्रों को कई अवसरों से चूकना पड़ेगा। समिति की पुरजोर राय है कि जब तक प्रणाली को प्रभावी और त्रुटिरहित बनाने के लिए पोर्टल में अपेक्षित सभी विशेषताओं को शीघ्रता से शामिल कर बदलाव नहीं लाया जाता है, तब तक संशोधित पीएमएस-एससी योजना परिकल्पित रूप में कार्यान्वित नहीं हो सकती है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) में बिना किसी देरी के तत्काल संशोधन किया जाए ताकि छात्रवृत्ति के वितरण के लिए डाटाबेस के रखरखाव और लाभार्थी छात्रों के परिचय पत्रों के सत्यापन जैसे आवश्यक कार्य समय पर पूरा किया जा सके और अनुसूचित जाति के लाभार्थी छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करने में देरी से बचा जा सके । समिति इस मामले में जांच के परिणाम के साथ-साथ 2021-22 में छात्रवृत्ति वितरण की स्थिति के बारे में भी अगत होना चाहेगी ।

अध्याय- दो

टिप्पयणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीवकार कर लिया है ।

सिफारिश (पैरा सं. 2.11)

2.1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधियों के साक्ष्य से, समिति ने नोट किया कि वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवेक सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुधार लाए गए हैं। अब, विभाग द्वारा चलाई गई 33 योजनाओं को 19 योजनाओं में पुनर्समायोजित किया गया है, जो आगे चलकर पांच प्रमुख शीर्षकों जैसे -पीएम-अजय, श्रेयस (एससी), श्रेयस (ओबीसी) यशस्वी (ओबीसी) और श्रेष्ठ के अंतर्गत लाई गई हैं, जिससे अपेक्षा है कि ओवरलैप से बचने के लिए युक्तिकरण और अधिक तालमेल आमंत्रित होगा। समिति इस कदम के पीछे मूल विचार को समझती है, जोकि कोचिंग और छात्रवृत्ति के माध्यम से, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी श्रेणियों के छात्रों के साथ-साथ इन समूहों के आर्थिक उत्थान सहित शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं में फ्लैप में कटौती करना है। हालांकि इस युक्तिकरण के वांछित प्रभाव का केवल भविष्य के वित्तीय वर्षों में मूल्यांकन किया जा सकता है, समिति मानती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, विभाग की अधिकांश गतिविधियाँ कोविड-19 महामारी के कारण कई राज्यों में तालाबंदी के कारण बाधित हुई थीं, जहां छात्रवृत्ति के आवेदन आमंत्रण, प्रसंस्करण और संवितरण को निलंबित कर दिया गया था, इसके बावजूद विभाग ने 2020-21 की पहली तिमाही में केंद्रीय सहायता के 75% की पहली किस्त जारी की। एससी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की सबसे प्रमुख योजना में से एक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव, जैसा कि समिति द्वारा देखा गया, यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रतिबद्ध दायित्व को 60:40 के एक निश्चित साझाकरण पैटर्न में संशोधित किया गया है, ताकि केंद्रीय हिस्सेदारी को 60% तक बढ़ाया जा सके, इस शर्त के साथ कि राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को उनके 40% हिस्से को 28.2.2021 तक संवितरित करना होगा और उसके बाद 31.3.2021 तक 60% केंद्रीय हिस्सेदारी संवितरण पूर्वोक्त परिवर्तनों के मद्देनजर, समिति यह जानना चाहती है कि क्या यह व्यवस्था सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई थी या नहीं और क्या कोई चूककर्ता है, यदि कोई हो। समग्र रूप में, समिति महसूस करती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि उन्हें न केवल छात्रवृत्तियों की गैर-प्राप्ति /विलंबित प्राप्ति के कारण छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, बल्कि यह सुनिश्चित करना होगा कि योजनाओं का युक्तिकरण वास्तव में पूरे देश में वंचित वर्ग के छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए अधिक तालमेल प्रदान करे। इसलिए, की गई कार्रवाई अवस्था में, समिति चहती है कि मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने समग्र वित्तीय प्रदर्शन और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में संशोधित स्वरूपों में अपनी योजनाओं को चलाने में हुई प्रगति और दिये गये आवंटन के इष्टतम ढंग में उपयोग के बारे में और विस्तार से बताने की आवश्यकता है।

सरकार का उत्तर

2.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 में समान लक्ष्य वाली स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने/पुनर्गठित करने/पुनः नामित करने का प्रस्ताव है। सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 19.03.2021 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक विभाग की स्कीमों के विलयन/युक्तिकरण के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर उसकी सिफारिश की। ईएफसी की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्तावित

युक्तिसंगतता/विलयन इस प्रकार हैः

I. अनुसूचित जाति प्रभाग के अंतर्गत समान उद्देश्यों वाली चार स्कीमों यथा (क) एससी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप, (ख) एससी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, (ग) एससी के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा, (घ) एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग को एक स्कीम नामतः **एससी हेतु यंग अचीवर्स के लिए उच्चतर शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम (श्रेयस)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

II. (क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, (ख) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, (ग) अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता, नामक स्कीमों को **प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

III. एससी के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता नामक स्कीम को **एससी के लिए लक्षित क्षेत्र में उच्च स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की स्कीम (श्रेष्ठ)** के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव है। स्कीमों यथा (क) अस्वच्छ रोजगार में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, (ख) एससी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति को एक स्कीम यथा **एससी और अन्यों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति** में विलय करने का प्रस्ताव है।

IV. समाज रक्षा प्रभाग के अंतर्गत स्कीमों यथा (क) राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना, (ख) राष्ट्रीय वयोश्री योजना को एक स्कीम यथा **अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

V. स्कीमों यथा (क) भिखारियों के पुनर्वास हेतु समेकित कार्यक्रम (ख) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों हेतु स्कीम को **जीवनयापन और उद्यम हेतु कमजोर व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

VI. ओबीसी प्रभाग के अंतर्गत, स्कीमों यथा (क) ओबीसी के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, (ख) ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (ग) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (घ) डीएनटी के शैक्षणिक और आर्थिक विकास की स्कीम को **ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी हेतु जीवंत भारत के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड स्कीम (यशस्वी)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

VII. स्कीमों यथा (क) ओबीसी के लिए ओवरसीज अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी (ख) ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप को **ओबीसी और ईबीसी हेतु यंग अचीवर्स के लिए उच्चतर शिक्षा छात्रवृत्ति (श्रेयस)** में विलय करने का प्रस्ताव है।

VIII. स्कीम यथा ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता को **ओबीसी और अन्य के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)** और **एससी के लिए प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष)** के रूप में पुनः नामित किया गया है।

IX. डीएनटी/एनटी/एसएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) को वर्ष 2021-22 से नई स्कीम के रूप में आरंभ करने का प्रस्ताव है।

X. ऑनलाइन निगरानी तंत्र के संबंध में सूचना और संचार मीडिया की वर्तमान स्कीम को सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा-परीक्षा (आई-एमईएसए) में पुनर्गठित किया गया है, ताकि सभी स्कीम के निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा-परीक्षा पहलुओं को सामने लाया जा सके।

तद्नुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए (19) स्कीमों का बजट आवंटन किया गया। विभाग का स्कीम-वार बजट अनुमान (जेई) **अनुबंध-II** में संलग्न है।

इसके अलावा, एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के संबंध में यह कहा गया कि अन्य परिवर्तनकारी बदलावों सहित संशोधित निधीयन पैटर्न को दिसम्बर, 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, मार्च, 2021 में स्कीम दिशा-निर्देश जारी किए गए।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक संशोधित निधीयन पैटर्न के लाभ पहुंच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अंतरालों पर विभिन्न स्तरों पर राज्य प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए गए। चूंकि समय बहुत कम रह गया था, अतः राज्य सरकारों द्वारा समय से प्रस्ताव प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य मुख्यमंत्रियों, प्रधान सचिवों, मुख्य सचिवों को अ.शा. पत्र लिए गए। समिति इस बात की सराहना करेगी कि मार्च, 2021 में ही विभाग ने एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 2692.67 करोड़ रुपए की राशि जारी की और स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग 3815.87 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 4010.16 करोड़ रुपए उपयोग में ला सका। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्कीम-वार वित्तीय कार्य-निष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

सिफारिश (पैरा सं. 3.17)

2.3 अब जबकि कोविड-19 का टीकाकरण गति पकड़ रहा है, समिति की राय है कि विद्यालयों का पूरी क्षमता से पुन :खोला जाना तथा उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली औपचारिकताओं तथा सत्यापन आदि जो छात्रवृत्तियों के संवितरण के लिए आवश्यक है शायद मौजूदा वित्तीय वर्ष के दूसरे भाग में शुरू होंगे। छात्रवृत्ति का संवितरण ऑनलाइन कर दिया गया है फिर भी समिति महसूस करती है कि विद्यालयों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों आदि में बेईमान तत्वों जो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए प्रक्रिया में गतिरोध उत्पन्न करने का तरीका ढूंढ लेते हैं द्वारा धोखाधड़ी आज के समय की एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग न केवल यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन प्रभावशाली ढंग से लागू हो बल्कि पासवर्ड /कोड्स में किसी प्रकार की टेंपरिंग को पकड़ने के लिए छात्र हित में ऑनलाइन पोर्टल पर, एन आई सी के परामर्श से, पर्याप्त सुरक्षा संबंधी विशेषताएं दी जाएं।

सरकार का उत्तर

2.4 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, आदि में बेईमान तत्वों द्वारा कोई धोखाधड़ी गतिविधि न हो, संशोधित पीएमएस-एससी स्कीम के अंतर्गत कई कठोर कदम उठाए गए हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख निम्नवत है:

i. जिस संस्थान में छात्र ने प्रवेश लिया है, उसके बारे में डेटा लेने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को एआईएसएचई/यूडीआईएसई पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।

ii. राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति की स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का दोषमुक्त रूप से सत्यापन करेंगे।

iii. सिस्टम में कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाएगा। डिजिलॉकर या ऐसे किसी तंत्र के माध्यम से डेटाबेस को जोड़कर सभी डेटा को स्वतः सत्यापित किया जाना चाहिए।

iv. छात्रों की सभी सत्यापन प्रक्रिया उपरोक्त प्रमाणित डेटाबेस का उपयोग करके स्वचालित रूप से डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करके कम या बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के की जानी चाहिए। संस्थानों या यहां तक कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

v. आधार आधारित उपस्थिति व्यवस्था के लिए एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की जाएगी जो गैर-अंतर्वेधी और स्वचालित है। जब तक केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की प्रणाली को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक संस्थान हर महीने छात्रवृत्ति धारक की उपस्थिति को उपस्थिति मॉड्यूल में अपलोड करेगा जिसे आईटी सिस्टम में तैयार किया जाएगा।

vi. छात्रों के बैंक खाते के विवरण मांगने और उसे प्रमाणित करने की कोई प्रणाली नहीं होगी। सभी भुगतान विशेषतः आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने चाहिए।

vii. इसके अलावा, राज्य विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का पूर्ण डेटाबेस बनाए रखेंगे ताकि लाभार्थियों के डी-डुप्लीकेशन को सुनिश्चित किया जा सके।

viii. पोर्टल ऐसी व्यवस्था करेगा कि एक बार काली सूची में डाले जाने के बाद छात्र फिर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने योग्य न रहें।

सिफारिश (पैरा सं. 4.9)

2.5 समिति पाती है कि दोनो योजनाएं यथा अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा अस्वच्छ व्यवसाय में लगे विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति को अब अनुसूचित जातियों और अन्यों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति में विलय कर दिया गया है। वर्ष 2021 - 22 से बजट आवंटन भी एक साथ कर दिया गया है। सिमति पाती है कि अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक -पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2018 -19 में और 20-2019 में क्रमश : 26.30 लाख और 27 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे तथा 31दिसम्बर 2021 तक 30 लाख विद्यार्थियों को कवर किए जाने की आशा है तथा अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2019- 20 में लाभाग्राहियों की संख्या 2000 से बढ़कर 2 लाख हो गई तथा 31दिसम्बर 2021 तक 50 लाख लाभग्राहियों को कवर किए जाने की आशा है। समिति नोट करती है कि इस वर्ष लाभाग्राहियों के अपेक्षित आंकड़े अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की तुलना में अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अधिक है तथा इच्छा व्यक्त करती है कि उसे इसके कारणों से अवगत कराया जाए। समिति महसूस करती है कि दोनों योजनाओं में लाभग्राहियों की संख्या उनकी वर्तमान जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। इसलिए समिति की दृढ़ राय है कि किसी स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा आवधिक मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है और उनकी सिफारिशों की शीघ्रता से जांच एवं कार्यान्वयन किया जाए जैसा कि वर्तमान में नहीं है क्योंकि 2019-20 में किए गए अध्ययन पर कार्यवाही करने में विलंब हुआ है। सिमति का आग्रह है कि कोविड 19-महामारी के कारण- 2020-21 में लाभग्राहियों को छात्रवृत्ति के संवितरण में विलंब हुआ है, उसमें इस वर्ष तेजी लाई जाए ताकि लाभग्राहियों की शिक्षा में व्यवधान न आए।

सरकार का उत्तर

2.6 एससी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम और अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम नामक दो स्कीमें अब एससी और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति में विलय कर दी गई हैं। वर्ष 2021-22 से बजटीय आवंटन को भी मिला दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निचले स्तर पर थे। चूंकि स्कूल लगभग पूरे साल बंद रहे, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र निधियों का उपयोग करने और सभी लाभार्थियों को कवर करने में सक्षम नहीं हो पाए। नतीजतन, केवल 30 लाख से अधिक छात्रों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया। इसके अलावा, मैट्रिक-पूर्व अस्वच्छ व्यवसाय स्कीम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, यह अत्यधिक उम्मीद है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संयुक्त स्कीम के अंतर्गत व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करें जो अंततः आने वाले वर्षों में लाभार्थी कवरेज को बढ़ाएं। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 में, जैसा कि उम्मीद है कि सरकार के निरंतर प्रयासों से, स्कूल फिर से खुलेंगे और छात्रवृत्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। साथ ही, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के पुनः डिजाइन और संयुक्त स्कीम के अंतर्गत नए अपनाए गए दृष्टिकोण के साथ,

लाभार्थियों की बढ़ी हुई कवरेज अत्यधिक रूप से प्रत्याशित है।

यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दोनों स्कीमों के अंतर्गत निधियां केंद्रीय रूप से जारी की जा चुकी है और राज्यों द्वारा निधियों के पूर्ण उपयोग के संबंध में राज्यों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, छात्रवृत्ति का संवितरण प्रक्रियाधीन है और कोई भी पात्र लाभार्थी कवरेज से बाहर नहीं रहेगा।

इसके अलावा, संबंधित स्कीमों के अंतर्गत मूल्यांकन अध्ययन समय-समय पर आयोजित किया जाता है और एससी छात्रों और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की संयुक्त स्कीम में अध्ययन की सिफारिश को स्वीकार किया जाता है।

सिफारिश (पैरा सं. 4.10)

2.7 समिति इस बात पर जोर देना चाहती है कि देश के दूर-दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में विद्यार्थियों को ब्रॉड-बैंड सेवाएं इष्टतम रूप में उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण छात्रवृत्ति हेतु सभी आवश्यक डाटा ऑनलाइन दायर करने में कुछ विलंब होने की संभावना है। इसलिए समिति की सिफारिश है कि स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा इस समय सीमा में तर्कसंगत छूट देने पर विचार किया जा सकता है तथा इसलिए वह इच्छा व्यक्त करती है कि इस मामले पर विभाग तथा स्टेकहोल्डरों/राज्य कल्याण मंत्रालयों और सचिवों के बीच अगली बैठक में विचार विमर्श किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.8 विभाग को मालूम है कि देश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण छात्रवृत्ति के लिए सभी अपेक्षित डेटा ऑनलाइन भरने में कुछ देरी हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा समय-सीमा में छूट पर विचार किया जाए और इस मामले में किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर चर्चा की जाएगी।

सिफारिश (पैरा सं. 5.16)

2.9 समिति निराशा के साथ नोट करती है कि सरकार विभिन्न कानून और नियम बनाकर देश में अस्पृश्यता से छुटकारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रयास कर रही है लेकिन इसकी परिपाटी अभी भी विभिन्न रूपों में मौजूद है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 से 2019 के बीच देश में अनुसूचित जातियों के साथ अत्याचार के 2,02,427 तथा अनुसूचित जनजातियों के साथ 33,949 मामले सामने आए हैं। दुर्भाग्य से यह संख्या वास्तव में अधिक हो सकती है क्योंकि अनेक मामले दर्ज नहीं होते हैं। समिति यह महसूस करती है कि कार्यपालिका स्तर पर जागरूकता पैदा करने और साथ ही लोगों को अनुसूचित जातियों के प्रति अपने पूर्वाग्रहों एवं दुर्भावना से छुटकारा पाने के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सच्चे प्रयास किए जाने तथा अत्यावश्यक रूप से समान समाज बनाए जाने की आवश्यकता है। विद्यमान नियमों/कानूनों के बावजूद अभी भी कुछ राज्यों में अत्याचार के अनेक मामलों की सूचना मिली है। इसलिए समिति

महसूस करती है कि जागरूकता कार्यक्रमों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है तथा विशेषकर ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अपराध करने वालों को कानून के अधीन दांडिक उपबंधों का पर्याप्त प्रसार किया जाना चाहिए। अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा योजना के अनुरूप, विशेष रूप से उन राज्यों की सरकारों द्वारा और अधिक योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता है, जहां बहुत बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए, सामाजिक एकीकरण और सद्भाव को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव की प्रथा हटाने के लिए उचित निगरानी तंत्र के साथ । समिति यह भी पाती है कि प्रत्येक वर्ष न्यायालयों को मामलों के तीव्र निपटान के लिए सुदृढ़ बनाने के संबंध में वित्तीय प्रावधान किए जाने के बावजूद अत्याचार के अनेक मामले न्यायालयों में लंबित पड़े रहते हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय से अतिरिक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि संविधान में यथानिहित अस्पृश्यता के विरूद्ध कानून के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

2.10 यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संविधान की सातवीं अनुसूची में उल्लिखित राज्य का विषय हैं, इसलिए एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। केंद्रीय स्तर पर, पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने और प्रचार करने के लिए विभिन्न घटकों के तहत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। केंद्र सरकार भी समय-समय पर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरश: कार्यान्वित करने और अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए सलाह देती है। जिन राज्यों में मामलों की संख्या कम है, ऐसे राज्यों ने अधिनियम में निर्दिष्ट एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों के निपटान के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित किया है।

इसके अलावा, सचिव, एसजे एंड ई द्वारा डीओ पत्र दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में न केवल अपराध की घटना को रोकने के लिए बल्कि अत्याचार जैसी स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने और एससी और एसटी के खिलाफ अत्याचार करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ निवारक उपाय करने के लिए भी राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों की मदद लें। वे पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली के प्रावधानों के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू करें।

एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए और समय पर शिकायत निवारण के लिए, एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है और साथ ही प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक (केपीआई) के

आधार पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगा। यह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

सिफारिश (पैरा सं. 7.12)

2.11 समिति इस तथ्य की प्रशंसा करती है कि विभाग एनएपीडीडीआर की छत्रक योजना के अंतर्गत लगभग पूरी आबंटन राशि का उपयोग करता रहा है जिसके अंतर्गत वर्ष 21-2020 के सिवाय ड्रग की मांग में कमी हेतु निवारक शिक्षा और जागरुकता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें कोविड 19-लॉकडाउन के कारण व्यय कम रहा था। तथापि, निवारक शिक्षा जागरुकता सृजन, एकीकृत पुर्नवास केंद्रो हेतु राज्यों/संघ राज्यों, एनजीओ को विभाग द्वारा अनुदान को स्वीकृति दिए जाने के बावजूद परिणाम में अब तक उत्साहजनक नहीं रहा है। ड्रग के दुरुपयोग की समस्या खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। समिति महसूस करती है कि कार्यकारी एजेंसियों की तरफ से निष्ठा की कमी, कार्यकारी एजेंसियों की ओर से समन्वय/निगरानी की कमी तथा तथा ड्रग्स के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुकता की कमी इसके संभावित कारण हो सकते हैं। देश में यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है क्योंकि एनडीडीटीसी, एम्स ने 2019 में यह पाया है कि 10- 17 की आयु वर्ग के 1 करोड़ 18 लाख बच्चों को ड्रग्स की लत थी। समिति यह नोट करके क्षुब्ध है कि इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद विभाग निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के कारण विभाग को देश में अनेक नशा मुक्ति केंद्र बंद करने पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में सिमति का विचार है कि संबद्ध अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के तर्क के साथ सुदृढ़ तंत्र की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निर्धारित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। समिति चाहती है कि विद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि युवा पीढ़ी नशे की लत में नहीं पड़े और अपरिपक्व किशोरों को अल्पकालिक आनंद के लिए नशीली दवाओं के लिए उकसाने वाले अवांछनीय तत्वों को पकड़ा जा सके तथा उन्हें कठोड़ सजा दी जा सके। समिति विभाग से यह भी आग्रह करती है कि वह स्कूली बच्चों/युवाओं में पार्टी ड्रग्स, तंबाकू और अल्कोहल की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न संघों से सहयोग लेने की संभावना तलाशे जिनकी संख्या मंत्रालय के वर्ष 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार 1,18,00,000 थी। कूड़ा बीनने वालों और अन्य कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए इस क्षेत्र में सफल शानदार रिकॉर्ड रखने वाले एनजीओ/वीओ की संभावना तलाश की जा सकती है। समिति पाती है कि विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों, परिसरों, विद्यालयों और समुदायों तक पहुंचने तथा समुदाय की प्रतिभागिता जुटाने और अभियान के स्वामित्व पर विशेष ध्यान देते हुए युवाओं के बीच मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लक्ष्य के साथ 272 पहचान किए गए कमजोर जिलों में 'नशा मुक्ति अभियान' चलाया है। समिति इस वर्ष इसकी उपलब्धि जानना चाहती है। आगे, समिति चाहती है कि विभाग को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्यों में सभी स्तरों पर ऐसे अभियान चलाने तथा ऐसे अभियानों में अपने घटकों को जुटाने में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करने हेतु जिलों की पहचान करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को निदेश देना चाहिए। विभिन्न राज्यों में ओडीआईसी जो कि वर्तमान में केवल 94 है, को बिहार, झारखंड, गोवा, कर्नाटक आदि असेवित राज्यों में स्थापित किया जा सकता है। समिति विभाग से आग्रह करती है कि इन राज्यों को भी साथ लाए।

सरकार का उत्तर

2.12 नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) की योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, व्यसनी के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र (ओडीआईसी), समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व वाले हस्तक्षेप (सीपीएलआई) और सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाएं (एटीएफ) आदि जैसी विभिन्न परियोजनाओं को चलाने और बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

मंत्रालय ने देश में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे का आकलन करने के लिए वर्ष 2019 में प्रकाशित पहला व्यापक राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किया। मादक द्रव्यों के सेवन के पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों के उपोयग पर विस्तृत जानकारी के साथ-साथ इन पदार्थों का उपयोग करने वाले विभिन्न आयु समूहों को जानकारी देता है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों ने एनएपीडीडीआर की तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में मदद की है और देश में मादक द्रव्यों के सेवन के मुदे से लड़ने के लिए कार्यों को अधिक केंद्रित किया है।

योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने और जमीनी स्तर पर योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, यह मंत्रालय पदार्थों की मांग में कमी और नियंत्रण के तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक सभी उपाय और कार्रवाई कर रहा है। मादक द्रव्यों के उपयोग के क्षेत्र में काम कर रहे कई संगठन मांग में कमी, जागरूकता पैदा करने और पुनर्वास के लिए विभिन्न उपायों को करने के लिए मंत्रालय द्वारा समर्थित है। पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए अपने आवेदन इस मंत्रालय के ई-अनुदान पोर्टल पर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और विगत वर्ष के लिए जारी किए गए सहायता अनुदान (जीआईए) के उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करने की आवश्यकता है। इस मंत्रालय ने शराब और नशीली दवाओं की मांग में कमी के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखन के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), नई दिल्ली में नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र (एनसीडीएपी) की स्थापना की है। यह देश भर में एनएपीडीडीआर की गतिविधियों के अवधारणा, रूपरेखा और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा और एनएपीडीडीआर के तहत कवर किए गए कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क भी करेगा। इस प्रयोजन के लिए, इस विषय पर विशेषज्ञ/ परामर्शदाता भारत सरकार के प्रचलित मानदंडों के अनुसार एनआईएसडी द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, मंत्रालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी (एलएलसीए) के रूप में नशीली दवाओं की मांग में कमी के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों को नामित किया है। एसएलसीए, इस प्रकार नामित, अपने अधिकार क्षेत्र में एनसीडीएपी के अधिदेश के हस्तांतरण के लिए अनिवार्य रूप से जिम्मेदार हैं। संगठनों को जीआईए पीएमयू/राज्य सरकार/यूटी/एसएलसीए अधिकारियों द्वारा संगठन के संतोषजनक निरीक्षण के अधीन हैं। इसके अलावा इस मंत्रालय का लक्ष्य प्रत्येक जिला मुख्यालय या उपयुक्त सुलभ स्थान पर जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) स्थापित करना है जहां जिला प्रशासन द्वारा किराया मुक्त आवास प्रदान किया जाता है। ये डीडीएसी, आईआईसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई द्वारा एक साथ प्रदान की जा रही व्यापक सुविधाएँ प्रदान करेंगे। डीडीएसी के कामकाज की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति करेगी, जिसका गठन नशामुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों के रूप में जिलों के सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, कुलपति (वाइस-चान्सेलर)/विभाग प्रमुख (एचओडी)/ प्रधानाचार्य, शोधकर्ता, विद्धवानों

आदि को सहयोजित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने 272 चिन्हित संवेदनशील जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है, जिसमें उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और समुदाय तक पहुंचने और समुदाय की भागीदारी और अभियान का स्वामित्व हासिल करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन 272 जिलों को मादक द्रव्यों के सेवन के लिए सबसे अधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया था, जिनका चयन मंत्रालय द्वारा किए गए मादक द्रव्यों के उपयोग के पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त इनपुट के आधार पर किया गया था। अभियान 15 अगस्त, 2020 को जिलाधिकारियों/कलेक्टरों, मंत्रियों, सांसदों जैसे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने राज्यों और जिलों में शुरू किया गया था। अभियान का संचालन, क्रियान्वयन और निगरानी जिला स्तरीय नशामुक्त भारत समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट करेंगे। इन समितियों का गठन चिन्हित जिलों में किया गया है और अपने जिलों को मादक द्रव्यों के सेवन से मुक्त बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे है। अभियान के पहुंच बढ़ाने के लिए महिलाओं, युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिकों समाज जैसे हितधारकों के साथ भागीदारी बढ़ाने पर अभियान विशेष जोर देता है और यह सुनिश्चित करता है कि मादक द्रव्यों के सेवन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित लोगों तक संदेश पहुंचे। अभियान की ट्विटर, इस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफोर्मों पर भी एक मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति है, जहां देश भर में की जा रही गतिविधियों पर अपडेट नियमित रूप से साझा किए जाते हैं। अब तक के मील के पत्थर (माइल स्टोन) निम्नलिखित हैं :-

i. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री जैसे हैंडबुक, पैम्पलेट, पोस्टर, सूचनात्मक पीपीटी और सामुदायिक पते के लिए लिपियों को हिंदी और अंग्रेजी में जिलों के साथ साझा किया गया है, साथ ही उन संसाधन व्यक्तियों की राज्य-वार सूची भी साझा की गई है जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं।

ii. 272 चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए 8000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों का चयन औऱ प्रशिक्षण किया गया है। वे जमीनी स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के संचालन में शामिल हैं और अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए अपने जिलों में मौजूद विभिन्न संस्थानों के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं।

iii. अब तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ जन जागरूकता सत्र, ग्राम सभा, शैक्षणिक संस्थानों में सत्र, जागरूकता रैलियां नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं, मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित दिनों का उत्सव, मिनी मैराथन और रन और शहर भर में जमीनी स्तर पर अभियान चलाए गए हैं और अब तक देश भर में 80 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुके हैं।

iv. 35 लाख से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ संदेश को जमीन स्तर पर फैलाया। स्कूलों औऱ कॉलेजों में लगभग 4000 से अधिक युवा मंडल, एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक, युवा क्लब भी बनाए गए हैं और उन्होंने अभियान की गतिविधियों में भाग लिया है।

v. आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएमएस, महिला मंडलों और महिला एसएचजीएस के माध्यम से एक बड़े समुदाय तक पहुंचने में 28 लाख से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है।

vi. मादक द्रव्यों के सेवन के विषय पर 6000 से अधिक स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और सत्रों के साथ अब तक देश भर में 13 लाख से अधिक छात्र पहुंच चुके हैं। इन गतिविधियों में शिक्षकों और अभिभावकों को भी शामिल किया गया है ताकि युवाओं के मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे को स्कूल और घर दोनों में संबोधित किया जा सके।

vii. फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से अब तक अभियान से संबंधित गतिविधियों पर 4,000 से अधिक पोस्ट साझा किए जा चुके हैं।

viii. एक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जहां 180 से अधिक छात्रों ने सोशल मीडिया इंटर्न के रूप में काम किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके 3.5 महीनों में देश भर में 13 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचे।

ix. जिलों और मास्टर स्वयसेवकों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर जमीनी स्तर पर हो रही गतिविधियों के डेटा को कैप्चर करने के लिए एक एड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रखा गया है।

x. अब तक, 14 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों जैसे मणिपाल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, वेल्लोर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्राइस्ट बैंगलोर, आईआईटी मद्रास आदि ने अभियान का हिस्सा बनने के लिए अपनी विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से, ये कॉलेज अपने छात्र की सक्रिय भागीदारी सहित लगभग 1.5 लाख लोगों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं।

मंत्रालय पदार्थ निर्भरता के प्रभाव सहायता के लिए जरूरत को स्वीकार करना और उपचार और कुल व्यक्ति की वसूली के लिए पेशेवर मदद को स्वीकार करने के बारे में लक्षित समूहों और समुदाय को इसके बारे में संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से अपने पड़ोस, शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थल, स्लम (गंदी बस्तियों) आदि में विशिष्ट लक्षित समूहों (कमजोर और जोखिम वाले समूहों) को संबोधित करने के लिए निवारक शिक्षा और जागरूकता पैदा करने का कार्यक्रम चला रहा है। जहां तक स्कूल/कॉलेज स्तर पर शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रमों का संबंध है, इस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सैक्षिक और जागरूकता अभियान चलाने के लिए छह शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलआई चलाने वाले कुछ संगठनों की सहायता अनुदान प्राप्त करने से रोक दिया गया था। यह कार्रवाई उन संगठनों के खिलाफ की गई है

जो वास्तविक निरीक्षण के आधार पर मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-संचालन, गैर-योगदान या वितरण नहीं कर रहे थे। उन संगठनों के कामकाज को मार्गदर्शन और मजबूत करने की प्रक्रिया, जिनके वितरण के कुछ पहलुओं में कमी थी, मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि वे जरूरतमंद लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करें और देश में मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ लड़ाई में मदद करें।

वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, मंत्रालय ने सिर्फ जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) खोलने का प्रस्ताव किया है। डीडीएसीएस की स्थापना के लिए, उन जिलों की वरीयता दी जाएगी, जिनमें आईआरसीए, सीपीएलआई या ओडीआईसी की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए ड्रग्स के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक संगठन/स्टार्ट-अप डीडीएसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। ये डीडीएसी आईआरसीए, ओडीआईसी और सीपीएलाई द्वारा एक साथ प्रदान की जाने वाली व्यापक सुविधाएं प्रदान करेंगे। डीडीएसी के कामकाज की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाएगी, जिसका गठन नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत किया गया है। इसके अलावा, जिलों की सेवानिवृत प्रतिष्ठित हस्तियां, कार्यकर्ता, कुलपति/विभाग प्रमुख (एचओडी)/ प्रधानाचार्य, शोधकर्ता, विद्वान आदि को अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।यह समिति केवल नीति संबंधी मुद्दों की निगरानी करेगी। दिन-प्रतिदिन और कार्यान्वयन से संबंधित डीडीएसी की स्थापना के लिए अनुमोदित संबंधित संगठन/एनजीओ की होगी।

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजनाओं में धनराशियों का वितरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**कार्यक्रमयोजनाएं/**	**ब.अ. 2020-21**	**सं.अ.2020-21**	**व्यय 2020-21**
	एससीडी डिवीजन			
1	अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2987.33	3815.87	4010.16
2	एससी और ओबीसी के लिए निशुल्क कोचिंग	30.00	30.00	11.97
3	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	700.00	300.00	216.52
4	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,और 1955 अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 नके प्रवर्तन के लिए मशीनरी को सुदृढ़ बनाना	550.00	600.00	593.39
5	बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	30.00	30.00	56.40
6	अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	100.00	125.00	55.81
7	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	25.00	27.00	26.81
8	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	50.00	20.00	15.86
9	अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	1200.00	300.00	387.00
10	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	300.00	125.00	119.00
11	स्केवेंजरों की मुक्ति एवं पुर्नवास संबंधी स्व-रोजगार स्कीम	110.00	30.00	16.60
12	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	20.00	30.00	32.92

13	अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ठ श्रेणी की शिक्षा	40.00	50.00	52.88
14	अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	700.00	600.00	569.52
15	विश्वास योजना (एससी)	0.00	32.13	10.00
16	अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि	65.00	40.00	30.00
17	एससी के लिए क्रेडिट गारंटी निधि	1.00	0.00	0.00
	कुल एससीडी डिवीजन	**6908.33**	**6155.00**	**6204.84**
	सामाज रक्षा, मीडिया और अनुसंधान			
18	सूचना एवं जन शिक्षा प्रकोष्ठ	20.00	5.00	2.78
19	सामाजिक रक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिएस्वैच्छिक संगठनों को सहायता।	4.00	3.00	3.00
20	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	200.00	150.00	130.31
21	नशीली दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना	260.00	180.00	149.43
22	भिखारियों के पुनर्वास के लिए एकीकृत कार्यक्रम	100.00	0.00	0.00
23	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्कीम	10.00	0.00	0.00
24	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	1.00	0.00	26.50
	कुल सामाज सुरक्षा	**595.00**	**338.00**	**312.02**
	पिछड़ा वर्ग प्रभाग			
25	ओबीसी को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	250.00	175.00	165.85
26	ओबीसी, डीएनटी और ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता	50.00	50.00	47.29
27	ओबीसी के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	50.00	35.00	31.59
28	ओबीसी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1415.00	1100.00	1159.59
29	विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक विकास की स्कीम	10.00	10.00	9.00
30	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	25.00	25.00	25.00
31	ओबीसी के लिए संबंध में विदेश अध्ययन करने पर ब्याज सब्सिडी	35.00	35.00	32.61
32	ओबीसी और ईबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	120.00	45.00	33.00
33	विश्वास योजना (ओबीसी)	0.00	32.00	10.00
34	पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल निधि	60.00	10.00	0.00
	कुल पिछड़ा वर्ग प्रभाग	**2015.00**	**1517.00**	**1513.93**
विभाग की सभी स्कीमों का कुल योग		**9518.33**	**8010.00**	**8030.79**
	गैर स्कीम			
	स्थापना			
1	सचिवालय	60.00	55.54	51.36
2	एनसीएससी	25.00	25.00	15.83
3	एनसीएसके	10.00	5.95	4.31
4	एनसीबीसी	8.00	10.00	9.39
6	डीडब्ल्यूबीडीएनसी	1.24	0.30	0.15

	कुल स्थापना	**104.24**	**96.79**	**81.04**
	स्वायत्त निकाय			
7	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00
8	राष्ट्रीय सामाज सुरक्षा संस्थान	35.00	4.70	28.88
9	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र	25.00	25.00	25.00
	कुल स्वायत्त निकाय	**61.00**	**30.70**	**54.88**
	निवेश			
10	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	180.00	0.00	0.00
11	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	40.00	40.00	40.00
12	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	200.00	30.07	30.00
	कुल निवेश	**420.00**	**70.07**	**70.00**
	कुल गैर स्कीमें	**585.24**	**197.56**	**205.92**
	कुल योग स्कीमें + गैर स्कीमें	**10103.57**	**8207.56**	**8236.71**
	आरवीवाई और एनआईएसडी में एससीडब्ल्यूएफ से प्राप्त राशि			54.38
	निवल व्यय			8182.33
	कुल बजट का % में व्यय			**99.69%**

अनुबंध-II

एसजेई विभाग के बजट का वितरण 2021-22		
		(करोड़ रुपये में)
क्र.सं.	**कार्यक्रम/योजनाएं**	**बीई 2021-22**
	एससीडी डिवीजन	
1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	3415.62
2	**यंग अचीवर्स के लिए उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (श्रेयस)**	
	अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	300.00
	एससी और एनटी / भूमिहीन मजदूरों आदि के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति।	30.00
	अनुसूचित जाति के लिए उत्कृष्ट श्रेणी शिक्षा	70.00
	एससी और ओबीसी के लिए निःशुल्क कोचिंग	50.00
	कुल	**450.00**
3	**प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)**	1800.00
	एससीएसपी को विशेष केंद्रीय सहायता	
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	
	बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना	
4	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए मशीनरी को सुदृढ़ बनाना	600.00

5	**लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना (श्रेष्ठ)**	200.00
6	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	25.00
7	हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस)	100.00
8	अनुसूचित जाति के छात्रों और अन्य के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	725.00
9	अनुसूचित जाति के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना	100.00
10	अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ-एससी)	100.00
11	प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) एससी	60.00
	कुल एससीडी डिवीजन	**7575.62**
	कुल योजना आवंटन में अनुसूचित जाति का % हिस्सा	**75.00**
	सामाजिक रक्षा (एसडी) प्रभाग	
12	**अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)**	300.00
13	नशीली दवाओं की मांग में कमी पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)	260.00
14	सीमांत व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम के लिए सहायता **(स्माइल)**	
	भीख मांगने के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास	50.00
	ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास	20.00
	कुल	**70.00**
	कुल सामाजिक सुरक्षा	**630.00**
	पिछड़ा वर्ग (बीसी) डिवीजन	
15	**ओबीसी और अन्य के लिए वाइब्रेंट इंडिया संबंधी पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)**	
	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1300.00
	ओबीसी/ईबीसी/डीएनटी के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति	250.00
	कुल	**1550.00**
16	**ओबीसी और ईबीसी के लिए यंग अचीवर्स स्कीम (श्रेयस) हेतु उच्च शिक्षा संबंधी छात्रवृत्ति**	
	ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	100.00
	ओबीसी और ईबीसी के विदेशी अध्ययन पर ब्याज सब्सिडी	30.00
	कुल	**130.00**
17	ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास	30.00
18	ओबीसी के लिए वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (विश्वास) योजना	50.00
19	पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ-बीसी)	20.00
20	प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम दक्ष) ओबीसी और अन्य	40.00
21	डीएनटी/एन/एसएन (सीड़) के आर्थिक अधिकारिता के लिए योजना	50.00
	कुल पिछड़ा वर्ग प्रभाग	**1870.00**
22	सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए)	25.00
	विभाग की सभी योजनाओं के लिए कुल योग	**10100.62**
	गैर योजनाएं	
	स्थापना	

1	सचिवालय	67.00
2	एनसीएससी	27.00
3	एनसीएसके	10.00
4	एनसीबीसी	12.00
5	डीडब्ल्यूबीडीएनसी	5.00
	कुल स्थापना	**121.00.0**
	स्वायत्त निकाय	
6	डॉ बीआर अंबेडकर फाउंडेशन	1.00
7	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	20.00
8	डॉ बीआर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर	25.00
	कुल स्वायत्त निकाय	**46.00**
	निवेश	
9	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	100.00
10	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	50.00
11	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	100.00
	कुल निवेश	**250.00**
	कुल गैर योजनाएं	**417.00**
	कुल योग योजनाएं + गैर योजनाएं	**10517.62**

अध्याय तीन

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।

सिफारिश (पैरा सं. 2.10)

3.1 समिति पाती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 2018-19 और 2019-20 में उपलब्ध बजटीय आवंटन का उपयोग उनके द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई गई विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए किया गया था, विभाग सितंबर, 2020 तक 5% की मासिक व्यय सीमा के कारण और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अन्य प्रचालनात्मक प्रतिबंधों के कारण 2020-21 में 8207.56 करोड़ रुपये पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव द्वारा दिए गए आश्वासन को नोट करते हुए 2020-21 के शेष आवंटन को 31 मार्च, 2021 तक खर्च करने और अंत में उपयोग की गई राशि से अवगत कराने की इच्छा जताई। चूँकि दशकों से कई कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता के बावजूद समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से हाशिए के तबके अभी भी पीछे हैं, समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि विभाग को अपेक्षित समर्पण के साथ अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है। यह तथ्य कि 2022-2021 के लिए विभाग के लिए बजटीय आवंटन 13257.05 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में 10517.62 करोड़ रुपये कम है, इस बात का प्रमाण है कि आगे विभाग के लिए यह कार्य हमेशा की तरह चुनौतीपूर्ण रहेगा। समिति का मत है कि 2021-22 के लिए विभाग द्वारा अनुमानित बजटीय आवश्यकता को वित्त मंत्रालय द्वारा सकारात्मक रूप से माना जाना चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड-19 महामारी का समाज के वंचित वर्गों के जीवन और आजीविका पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूंकि अगले पांच वर्षों के लिए सभी सरकारी क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा की जा रही है, समिति चाहती है कि 2021-22 से 2025-26 तक विभाग की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने के लिए एसएफसी/ईएफसी की स्वीकृति मिलने के बाद, 2021-22 में आरई चरण पर अधिक निधियों की उनकी मांग को सही ठहराने के लिए विभाग को पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए एक ऑनलाइन निगरानी तंत्र काफी समय पहले होना चाहिए था क्योंकि वंचित वर्गों के बीच शैक्षिक और अन्य अपर्याप्तता को देखते हुए, उनके कल्याण के लिए निधि का असामाजिक तत्वों द्वारा अन्यत्र उपयोग आसान है। इसलिए, विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निगरानी तंत्र, किसी भी योजना का दिल और आत्मा होने के नाते, विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए ताकि किसी भी योजना के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की दोष/असंगति को तुरंत पहचान लिया जाए और इस तरह से सुधार किया जाए कि विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य समूहों तक लाभ तेज़ और पारदर्शी तरीके से पहुँचे।

सरकार का उत्तर

3.2 वर्ष 2020-21 के दौरान आरई स्तर पर 8207.56 करोड़ रुपए के कुल आवंटन की तुलना में विभाग का कुल व्यय 8182.20 करोड़ रुपए है, जो 99.69 प्रतिशत है। कोविड-19 महामारी के बावजूद, विभाग ने कुल आवंटित निधियों का उपयोग किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विभाग का संशोधित बजट और व्यय इस प्रकार हैः-

(आंकड़े करोड़ में)

बजट 2020-21	संशोधित बजट 2020-21	व्यय 2020-21	आरई 2020-21 के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत
10103.57	8207.56	8182.33	99.69

उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से भी 54.38 करोड़ रुपए जारी किए गए और तद्नुसार, सकल व्यय 8236.71 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ऑनलाइन निगरानी तंत्र के संबंध में सूचना और संचार मीडिया की वर्तमान स्कीम को सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा-परीक्षा (आई-एमईएसए) में पुनर्गठित किया गया है, ताकि सभी स्कीम के निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा-परीक्षा पहलुओं को सामने लाया जा सके। अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों और सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कीमों की परियोजना निगरानी यूनिटों द्वारा फील्ड स्तर पर जांच की जाएगी। इसके अलावा, इन संस्थानों के कार्यकरण की निगरानी के लिए केन्द्रीय स्मार्ट निगरानी प्रणाली (सीएसएसएस) होगी। इसके अतिरिक्त, स्कीम के प्रभावी वितरण के स्टेकहोल्डर मूल्यांकन हेतु स्कीमों की सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे सेवा वितरण में सुधार के लिए फीडबैक मिल सके। साथ ही, 'अंत' तक निधियों की कुल ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए विभाग की लाभार्थी उन्मुखी स्कीमों के लिए डीबीटी/पीएफएमएस भुगतान मोड अपनाया गया है।

सिफारिश (पैरा सं. 6.14)

3.3 समिति नीति आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह पाकर दुखी है कि 18 राज्यों के 194 जिलों में मैला ढोने की प्रथा अब भी है और केवल 49 जिले ही मैला ढोने की प्रथा से मुक्त हुए हैं। सिमति का मत है कि जब तक सभी कार्यकारी एजेंसियों द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किए जाएंगे तब तक विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि देश के 194 जिलों में अब भी मैला ढोने की प्रथा है। अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण में वृद्धि करने तथा वित्तीय सहायता के अन्य उपायों को लोकप्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों के पास स्वयं के लिए व्यावसायिक विकल्प हों। सिमति यह जानकर बहुत दुखी है कि गत पांच वर्षों के दौरान सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय कुल 336 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट मिली है जिनमें से केवल 221 के मामलों में मुआवजा दिया गया है। इस संबंध में समिति नोट करती है कि एमएस एक्ट, 2013 के विभिन्न उपबंधों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए 470 नगरपालिकाओं हेतु विभाग द्वारा जागरुकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समिति यह भी नोट करती है कि विभाग ने संबद्ध मंत्रालयों जैसे कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है जिसमें प्रत्येक जिले में रिस्पांसेबल सैनिटेशन अथॉरिटी और साथ ही आपात स्थितियों से निपटने हेतु आवश्यक मशीनरी और प्रशिक्षित व्यक्तियों से सुसज्जित

सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट की स्थापना परिकल्पित की गई है। समिति चाहती है कि चूंकि, अधिकांश मैनुअल श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा सेप्टिक टैंकों को साफ करने के लिए नियोजित किया जाता है और ठेकेदारों का नगरपालिका निकायों द्वारा अनुबंधित किया जाता है तो यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उक्त सैनिटेशन रिस्पांस यूनिट अथवा रिस्पोंसेबल सैनिटेशन अथॉरिटी की अलग यूनिटों में स्थापित करने के बजाय नगरपालिकाओं में स्थापित किया जाए। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सभी नगरपालिकाओं द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक साफ करने वाली मशीनें समय पर खरीदी जाएं तथा सफाई कर्मियों को तत्काल इन मशीनों को चलाने तथा मानसून के मौसम के दौरान आपात स्थितियों में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए। चूंकि मंत्रालय ने भी एमएस एक्ट, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है, तो समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि मंत्रालय ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित करने की संभावना तलाशे जिनकी गलतियों की वजह से सफाई कर्मियों की सीवरऔर सेप्टिक टैंकों में मृत्यु हो जाती है। समिति चाहती है कि की कार्रवाई के चरण में इस दिशा में हुई प्रगति पर उसे एक नोट प्रस्तुत किया जाए।

सरकार का उत्तर

3.4 समाज कल्याण संगठनों ने नीति आयोग और मंत्रालय को बताया है कि हाथ से मैला ढ़ोने वाले जो हाथ से मैला ढ़ोने में लगे थे, उनकी पहचान नहीं हो पाई। तदनुसार, संबंधित राज्यों द्वारा 18 राज्यों के 194 जिलों में वर्ष 2018-20 के दौरान हाथ से मैला उठाने वालों को राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जिन हाथ से मैला ढ़ोने वालों की पहचान की गई उनमें से अधिकांश वे है जो किसी समय हाथ से मैला ढ़ोने में लगे थे और वर्तमान में हाथ से मैला ढ़ोने में नहीं लगे हैं। इसलिए यह अनुमान गलत है कि देश के 194 जिलों में मैला ढ़ोने की प्रथा मौजूद है।

स्वतंत्र अनुसंधान संगठन के माध्यम से वर्ष 2020 के दौरान किए गए एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि एक मुश्त नगद सहायता का लाभ प्रदान करने वाले हाथ से मैला ढ़ोने वाले अब हाथ से मैला उठाने में नहीं लगे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाथ से मैला उठाने वालों के कौशल विकास पर अधिक जोर दे रहा है। तदनुसार, वर्ष 2020-21 के दौरान, 6204 हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है वर्ष 2021-22 के दौरान भी, 3000 हाथ से कूड़ा ढ़ोने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान लोगों की मौत के मामले में बहुत सक्रिय है। जैसे ही इस तरह की किसी भी मौत की सूचना मंत्रालय के संज्ञान में आती है, मामलों की तुरंत संबंधित अधिकारियों के साथ अपराधियों के खिलाप कानूनी कार्रवाई के लिए की जाती है और पीड़ित परिवार को पूर्ण मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

विगत पांच वर्षों में 336 मौत के मामलों में से 221 परिवारों को पूरा मुआवजा दिया गया है। और 47 अन्य

परिवारों को 10.00 लाख रूपए से कम का भुगतान किया गया है। पूरे मुआवजे के भुगतान के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों से लगातार अवगत कराया जा रहा है।

एमएस अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा 787 नगरपालिकाओं में जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किए गए है।

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सेनिटेशन इकोसिस्टम, रिस्पॉनिसिबल सेनिटेशन अथॉरिटी (आरएसए) के अनुसार, प्रत्येक जिले ने एक नई संस्था का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी करेगा।

आरएसए जिले के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के मुख्यालय में एक सेनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट (एसआरयू) की स्थापना करेगा, जिसमें पूरे जिले – ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सेवा करने का अधिकार होगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रिस्पॉनिसबल सेनिटेशन अथॉरिटी के गठन और जिलों एवं नगरपालिकाओं में सेनिटेशन रिस्पॉन्स यूनिट की स्थापना के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को सलाह जारी करने की प्रक्रिया में है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनों की खरीद और इन मशीनों को संचालित करने के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की हैः-

(i) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनों/वाहनों की खरीद के लिए 50.00 लाख रूपए तक की रियायती ऋण प्रदान किया जाता हैः
   (क) सफाई कर्मचारी/हाथ से कूड़ा ढ़ोने वाले और उनके आश्रित; तथा
   (ख) सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और अन्य प्राधिकारी।

(ii) वर्ष 2019-20 और 2020-21, के दौरान 29 यूएलबी आदि को 296 मशीनों/वाहनो की खरीद के लिए रियायती ऋण प्रदान किया गया है।

(iii) सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई में लगे हाथ से कूड़ा ढ़ोने वालों/सफाई कर्मियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा 3.25 लाख रूपए से बढ़ाकर 5.00 लाख रूपए कर दी गई है।

(iv) एनएसकेएफडीसी स्वच्छता कार्यकर्ताओ के लिए रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसके तहत उन्हें मशीनीकृत सफाई का भी अनुभव दिया जाता है। वर्ष 2020-21 के दौरान 10,486 सफाई कर्मियों को आरपीएल प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) वर्ष 2020-21 के दौरान 64 नगर पालिकाओं में कीचड़ हटाने के कार्य में लगे 2944 सफाईमित्रों को मशीनीकृत सफाई का प्रशिक्षण दिया गया है।

(vi)

एमएस अधिनियम, 2013 की धारा 9 के अनुसार, सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए पहले से ही 5.00 लाख रूपे तक के जुर्माने या पांच साल तक की कैद या दोनों के लिए बहुत गंभीर जुर्माना का प्रावधान है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, एमएस अधिनियम, 2013 और आईपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ सीवर/सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान मौत के प्रत्येक मामले का पालन कर रहा है।

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश (पैरा सं. 3.15)

4.1 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 60 वर्षीय पुरानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना उन अनुसूचित जाति के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता की गारंटी देती है जिनके माता-पिता की आय सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। समिति नोट करती है कि पिछले 2वर्षों के दौरान अर्थात् 2018- 19और 2019-20, 31 दिसंबर, 2020तक केवल 113. 15 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं, और इस योजना केअंतर्गत 8639.47 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। समिति महसूस करती है कि अगले 5 वर्षों में लाभान्वित होने के लिए अनुमानित 4 करोड़ छात्रों की संख्या को प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए, अर्थात, प्रति वर्ष लगभग 80 लाख। इस निर्णय के आलोक में कि राज्यों को उनकी 40 प्रतिशत छात्रवृत्ति राशि का हिस्सा पहले देना होगा और फिर केंद्र का 60 प्रतिशत हिस्सा छात्रों को जारी किया जाएगा, समिति को मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा सूचित किया गया था कि देयता अब कम हो गई है और इसलिए यह एक स्वागत योग्य कदम है। फिर भी, सभी राज्य सरकारें समय पर अपना हिस्सा देने में बहुत कुशल नहीं हैं, इसलिए समिति महसूस करती है कि एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाए ताकि छात्रों को राज्यों द्वारा हिस्सा प्रदान न करने या विलंब के कारण छात्रवृत्ति से वंचित न किया जाए। इसलिए, समिति का सुझाव है कि छात्रों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाये ताकि अधिकतम छात्र अगले पांच वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य को देखते हुए योजना का लाभ उठा सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि योजना के हाल ही में किए गए मूल्यांकन अध्ययन में दिए गए सुझाव व्यावहारिक हैं और विचार योग्य हैं, इसलिए इनकी जांच और कार्यान्वयन किया जा सकता है। समिति योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों की पात्रता के सत्यापन के बाद, मुफ्त शिप कार्ड जारी करने की अवधारणा की भी सराहना करती है, क्योंकि यह छात्रों को देश में कहीं भी कोई शुल्क भुगतान किए बिना अपनी पसंद के संस्थान में प्रवेश लेने के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। समिति चाहती है कि विभाग सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को योजना केअंतर्गत आवेदन करने वाले सभी पात्र छात्रों को नि:शुल्क शिप कार्ड जारी करने का निर्देश दे।

सरकार का उत्तर

4.2 वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान स्कीम राज्यों की प्रतिबद्ध देयता के सिद्धांत पर आधारित थी, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी प्रतिबद्ध देयता के अनुसार बजट प्रावधान करने में आ रही परेशानियों की रिपोर्ट की थी। इसके परिणामस्वरूप स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज तुलनात्मक रूप

से कम था। संशोधित स्कीम वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 63 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करने की परिकल्पना करती है। संशोधित स्कीम के एप्रोच में किए गए बदलावों से संभावना है कि आने वाले वर्षों में लाभार्थियों के कवरेज में लगातार वृद्धि होगी, जिससे स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक लगभग 4 करोड़ छात्रों को कवर करने के स्कीम के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकेगी।

राज्यों द्वारा अपना शेयर प्रदान करने में विलंब अथवा ऐसा न होने की स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए स्कीम दिशा-निर्देशों में फ्रीशिप कार्ड का आरंभ किया गया। स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्र छात्र, ट्यूशन फीस और छात्रावास फीस के भुगतान के बिना संस्थानों में दाखिला लेने के पात्र होंगे। यह फ्रीशिप कार्ड छात्रों को फीस के पूर्व-भुगतान के बिना अध्ययन करने का पात्र बनाएगा बशर्ते जब भी छात्र के खाते में राशि जारी की जाएगी, संस्थान को छात्र से इसे एकत्र करने की सूचना दे दी जाएगी। इसके लिए, स्कीम दिशा-निर्देशों में बताए गए अनुसार योग्य छात्रों को राज्य सरकार द्वारा फ्रीशिप कार्ड जारी किया जाएगा।

छात्रों में जागरुकता लाने के लिए ताकि अधिकतम छात्र स्कीम का लाभ उठा सकें, ग्राम पंचायतों, नोटिस बोर्ड, स्कूल, समितियों और माता-पिता शिक्षक संघ बैठकों में विचार-विमर्श तथा अन्य जन जागरुकता उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्कीम के बारे में जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए, ताकि इसके कवरेज का विस्तार कर बेइमान तत्वों द्वारा किसी दुरुपयोग को भी कम किया जा सके।

ऐसी सभी विशेषताओं को शामिल करते हुए विस्तृत स्कीम दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं।

सिफारिश (पैरा सं. 3.16)

5.1 कुछ राज्यों में वंचित वर्गों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अधीन निधियों के कथित दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट किए गए मामलों पर समिति अत्यंत व्यथित है और इस समय इन मामलों की जांच चल रही है। मंत्रालय के प्रतिनिधि यह दावा करते रहे हैं कि सभी लेनदेन /सत्यापन ऑनलाइन एक समर्पित पोर्टल डीबीटी पर होने के कारण सफल हैं तथा इसी प्रकार के समान उपाय जो निश्चय ही समय की आवश्यकता हैं, समिति के लिए यह चिंताजनक है कि ऐसे मामले चाहे वह छोटे हों, सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं में विद्यार्थियों के विश्वास को कम करेंगे। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मंत्रालय इस प्रणाली में सभी चिन्हित कमियों को आगे दूर करे, डाटा और पासवर्ड की निजता को सुदृढ़ करे और सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप, वह चाहे स्कूल कार्मिक, बैंकिंग मध्यवर्ती, एनजीओ या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा हों, दूर करे तथा समिति की दृढ़ राय है कि विभाग को राज्य सरकारों को यह परामर्श देना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभग्राही विद्यार्थियों की सैंपल साइज संख्या तक सीधे पहुंचे ताकि यह आकलन किया जा सके कि कहीं वे सरकारी छात्रवृत्ति के बहाने धोखा नहीं खा रहे हैं तथा वास्तव में वे पोर्टल पर उनके नाम से यथा मंजूर उस अवधि के लिए पात्र छात्रवृत्ति की पूरी धनराशि प्राप्त कर रहे हैं। समिति को विश्वास है कि एक छोटी राय से भी समय पर बड़े बदलाव आ सकते हैं इसलिए समिति सिफारिश करती है कि इस पहलू पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

5.2 अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के संबंध में, कुछ राज्यों में मैट्रिकोत्तर एससी छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत निधियों के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। हालांकि, राज्यों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और यह उम्मीद की जाती है कि आवश्यक कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी द्वारा निर्णायक सबूत के साथ रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। अब, संशोधित पीएमएस-एससी स्कीम में, एक पूर्ण परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है।

यह स्कीम मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलाई जाएगी जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और बिना किसी देरी के समय पर सहायता उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य विभिन्न अन्य छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत लाभार्थियों का पूरा डेटाबेस बनाए रखेंगे ताकि लाभार्थियों का डी-डुप्लीकेशन सुनिश्चित किया जा सके। राज्य ऑनलाइन पोर्टल पर पात्रता, जाति की स्थिति, आधार पहचान और बैंक खाते के विवरण का दोषमुक्त सत्यापन करेंगे। छात्रों की सभी सत्यापन प्रक्रिया उपरोक्त प्रमाणित डेटाबेस का उपयोग करके स्वचालित रूप से डिजिटल प्रक्रिया का उपयोग करके कम या बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के की जानी चाहिए। संस्थानों या यहां तक कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

पूरी छात्रवृत्ति राशि का - राज्य और केंद्र सरकार दोनों से - ट्यूशन फीस, शैक्षणिक भत्ता और किसी भी

अन्य स्वीकार्य भत्ते सहित वर्ष 2021-22 से सीधे छात्रों के खाते में केवल डीबीटी के माध्यम से विशेषतः आधार आधारित भुगतान प्रणाली (आधार भुगतान ब्रिज) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

इन उपरोक्त कदमों से छात्रों से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने से लेकर अंतिम संवितरण तक पूरी तरह से दोषमुक्त प्रणाली की गारंटी की उम्मीद है। इसके अलावा, विभाग राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे लाभार्थी छात्रों के नमूने तक पहुंचने का प्रयास करने के लिए परामर्श देगा कि उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति के बहाने ठगा नहीं जा रहा है, और यह कि वे वास्तव में सत्र के लिए हकदार छात्रवृत्ति राशि की पूरी राशि प्राप्त कर रहे हैं, जैसा कि पोर्टल में उनके नाम के सामने संस्वीकृत है।

नई दिल्ली;

नवम्बर , 2021
अग्रहायण, 1943 (शक)

रमा देवी,
सभापति,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी
स्थायी समिति।

परिशिष्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के अठाईसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

		कुल	प्रतिशत
एक.	सिफारिशों की कुल संख्या	10	
दो.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (पैरा सं.– 2.11, 3.17, 4.9, 4.10, 5.16 और 7.12)	6	60
तीन.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती (पैरा सं.– 2.10 और 6.14)	2	20
चार.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (पैरा सं.– 3.15)	1	10
पांच.	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर अंतरमि प्रकृति के हैं (पैरा सं.– 3.16)	1	10